



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1939 (श0)  
(सं0 पटना 08) पटना, मंगलवार, 2 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

2 जनवरी 2018

अधिसूचना सं0 1/2018 – राज्य कर

एस० ओ० 02 दिनांक 2 जनवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, बिहार राज्यपाल, बिहार के राजपत्र, असाधारण अंक में, संख्या 564 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं0 एस० ओ० 105 दिनांक 29 जून, 2017, में निम्नलिखित अतिरिक्त के तहत संशोधन करते हैं:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -

- (क) उप-वाक्य (i) में “एक प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “आधा प्रतिशत” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) उप-वाक्य (iii) में “आवर्त का आधा प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं0सं0-ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017(खंड-I)-12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

2 जनवरी 2018

एस०ओ० 02 दिनांक 2 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017(खंड-I)-12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

***The 2<sup>nd</sup> January 2018***

Notification No. 1/2018-State Tax

S.O. 02 Dated 2<sup>nd</sup> January 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. S.O. 105 dated 29<sup>th</sup> June, 2017, of the Commercial Taxes Department, published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, *vide* number 564, dated 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, -

- (a) in clause (i), for the words “one percent.”, the words “half percent.” shall be substituted;
- (b) in clause (iii), for the words “half per cent. of the turnover”, the words “half percent. of the turnover of taxable supplies of goods” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 01 January, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-I)-12)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,**Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 08-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>